



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 12.09.2022

**गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी कपिल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष 07 माह का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।**

### कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त कपिल पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत के विरुद्ध थाना दोघट पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 47/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 12.09.2022 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय सं0-05 विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त कपिल को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में 03 वर्ष 07 माह का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

### दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- कपिल पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 251/16 धारा 147/148/149/302 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2- मु0अ0सं0 395/16 धारा 504/506 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3- मु0अ0सं0- 47/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 12.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 885/22 धारा 452/323/504/506 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 12.09.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री सुभाष नैन पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम सरूरपुर कलां बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1. राहुल पुत्र भीम निवासी ग्राम सरूरपुर कलां जनपद बागपत, 2. मोहन पुत्र मदन निवासी जिवाना थाना रमाला जनपद



बागपत, 3. रोहित पुत्र नामालूम निवासी पाठशाला थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा उसके घर में घुसकर उसके व उसके पुत्र प्रिन्स नैन के साथ गाली-गलौच कर व मारपीट करते हुये जान से मारने की धमकी दी गई । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 885/22 धारा 452/323/504/506 भादवि में पंजिकृत किया गया है ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 885/22 धारा 452/323/504/506 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.मोहन पुत्र मदन निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ०नि० श्री सोमपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2.का० 981 अंकित थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 12.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक गाडी महिन्द्रा पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 50 पशु (बकरे/बकरियां) बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से एक गाडी महिन्द्रा पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 50 पशु (बकरे/बकरियां) बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरमादगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-राजा पुत्र राजू निवासी ग्राम टांडा मानसिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ।

2-हसीन पुत्र रियासत निवासी ग्राम रसूलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर ।

3- शमीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम रसूलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर ।



4- बिलाल पुत्र खुर्शेद निवासी नंगला झण्डा थाना बेहटा जनपद सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण-**

- क्रूरतापूर्वक भरे हुये 50 पशु (बकरे/बकरियां)
- एक गाडी महिन्द्रा पिकअप नं0 UK- 07CB- 7993

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार को0बागपत
- 2-का0 647 प्रवीण भाटी को0बागपत
- 3- का0 960 अमित को0बागपत
- 4- का0 81 हरिओम को0बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 12.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 874/22 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.09.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री मोहित कुमार पुत्र श्री ओमवीर सिंह निवासी कुम्हारो वाली गली कोर्ट रोड बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 09.09.22 को अभियुक्त संहसरपाल पुत्र रामबीर सिंह निवासी गली न0-2 कोर्ट रोड कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी के उपर जान से मारने की नियत से हमला कर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 874/22 धारा 307/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 874/22 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-संहसरपाल पुत्र रामबीर सिंह निवासी गली न0-2 कोर्ट रोड कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 647 प्रवीण भाटी थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनाँक 12-09-2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 861/22 धारा 452, 323, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 12-09-2022 को थाना कोतवाली बडौत पर वादी अमित कुमार पुत्र महावीर सिंह ने सूचना दी कि दिनाँक 11-09-2022 की रात्रि को अभियुक्त 1- प्रमोद पुत्र केशवराम 2- शुभम पुत्र प्रमोद निवासीगण ग्राम गुराना थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत व 3-



बंटटी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम रामपुर थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर एवं एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के पिता महावीर सिंह के साथ गाली-गलौच करते हुये लाठी-डण्डो आदि से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0 861/22 धारा 452, 323, 504, 506 भादवि पंजिकृत किया गया ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के 861/22 धारा 452, 323, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-प्रमोद पुत्र केशवराम निवासी ग्राम गुराना थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
- 2-बन्टी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम रामपुर तिराहा थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप ।
- 2-है0का0 335 अनिल मिश्रा ।
- 3-का0 985 विपुल गर्ग ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 12.09.2022

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 396/22 धारा 452/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.09.22 को थाना खेकडा पर वादी संजय पुत्र फकीरचन्द निवासी ग्राम सुभानपुर थाना खेकडा जनपद बागपत ने थाना सूचना दी कि दोपहर समय करीब 01:00 बजे प्रार्थी अपने घर में अपने चाचा भंवर सिंह पुत्र ननका के साथ बैठा था तभी महावीर पुत्र रामस्वरूप के रिश्तेदार गौरव पुत्र मुकेश व विक्की पुत्र मुकेश निवासीगण पंचवटी कालोनी थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद के द्वारा घर में घुसकर प्रार्थी के चाचा को गाली-गलौज करने लगे, तभी गौरव ने डराने के लिए अपने अंटी से देशी तमंचा निकालकर दिखाने लगा, शोर-शराबा सुनकर प्रार्थी के गांव के ही अक्षय पुत्र रणतेश व सुनील पुत्र भंवर सिंह मौके पर आ गये, जिनको देखकर ये दोनों लोग जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 396/22 धारा 452/504/506 भादवि में पंजीकृत किया गया ।



## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 396/22 धारा 452/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- गौरव पुत्र मुकेश निवासी अमर कालोनी (पंचवटी कालौनी) थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
- 2- विक्की पुत्र मुकेश निवासी अमर कालोनी (पंचवटी कालौनी) थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

## बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

## आपराधिक इतिहास अभियुक्त गौरव-

1. मु0अ0सं0 483/15 धारा 25 A. ACT थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 390/15 धारा 392/34 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 11/2018 धारा 392/394/395/397/120B/411 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री मौ0 आसिफ
- 2- का0 83 सतेन्द्र गिरी
- 3- का0 1008 मिथुन कुमार
- 4- का0 1021 जितेन्द्र कुमार



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 12.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

1-विजय उर्फ गंजा पुत्र रोहताश निवासी ग्राम डौला थान सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना सि०अहीर

2-एचजी 756 संजीव ढाका थाना सि०अहीर